न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – ओमप्रकाश (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या – 186/2024
दायर दिनांक – 22.11.2024

उनवान

1. प्रेमचन्द पिता सोहन लाल पालडेचा महाजन नि. धनोप तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
2. उर्मिला देवी पुत्री सोहन लाल महाजन नि. धनोप तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
3. पारसमल पालडेचा पिता सोहन लाल महाजन नि. धनोप तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
4. मन्जू देवी पुत्री सोहन लाल महाजन नि. धनोप तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
5. लाड कंवर पत्नि सोहन लाल महाजन नि. धनोप तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
6. सुनिता देवी पुत्री सोहन लाल महाजन नि. धनोप तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।

-----(प्रार्थीगण)

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार पिता भैरूलाल माली नि. धनोप तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
2. उच्छबा देवी पत्नि भैरूलाल माली नि. धनोप तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
3. भागीरथ पिता मिश्री कुम्हार नि. धनोप तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
4. प्रेमलता पत्नि जवरी लाल पालडेचा महाजन नि. धनोप तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।

------(अप्रार्थीगण)

उपस्थित–
प्रार्थीगण अधिवक्ता---- श्री योगेश कुमार आगाल

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

दिनांक – 13.08.2025

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम धनोप पटवार मण्डल धनोप भू.अ.नि. धनोप तहसील फुलियाकंला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 187 के आ.न. 180 कुल किता 01 कुल रकबा 01.0100 हैक्टयर** भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसीगण/सहखातेदारान हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी का अध्ययन करने पर न्यायालय द्वारा पाया गया है कि उक्त विवादित आराजी में प्रार्थीगण एकल खातेदार नहीं है, अर्थात उक्त शामलाती आराजी है, शामलाती आराजी में जब तक विधिवत आराजी का विभाजन नही होता है तब तक केवल प्रार्थीगण के हिस्से में आने वाली जमीन की पत्थरगढी संभव नही है। शेष खातेदारान का भी हित शामलाती जमीन में निहित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षीगण अस्वीकार किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश)
उपखण्ड अधिकारी,
फूलियाकलां, जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलां, जिला-भीलवाड़ा